

कार्यालय उपनिबंधक सरोजनीनगर सरोजनीनगर जनपद लखनऊ

आवेदन संख्या :2202536700854

प्रमाण संख्या :22025367000846

भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- शाहजहाँ खातून पुत्र- श्री एन यू खान तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण : ग्राम/मोहल्ला - उत्तरठिया, वार्ड/परगना- बिजनौर, व्यवसायिक- श्रीमती शाहजहाँ खातून एवं अजूरी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 11 वृंदावन योजना रायबरेली रोड लखनऊ, प्लॉट स 11 कॉम 103

मे एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 19/02/2013 से दिनांक 19/02/2025 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :24-02-2025

- नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर डूँटे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।
2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बंधित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।
4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, निबंधक लिपिक।
मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक: ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, निबंधक लिपिक।

उपनिबन्धक सरोजनीनगर
लखनऊ

नोट- कार्यालय उपनिबन्धक सरोजनीनगर दिनांक 12.07.
2018 से क्रियाशील है इससे पूर्व के भारमुक्त सम्बन्धित
कार्यालय से प्राप्त करने का कष्ट करें।

PREETI VIKRAM Digitally signed
by PREETI VIKRAM
Date: 2025.02.24
12:16:41 +05'30'

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग
उत्तर प्रदेश



निबन्धन कार्यालय: सरोजनीनगर लखनऊ

भार मुक्त प्रमाण-पत्र/बारह साला की पावती

आवेदन संख्या	2202536700854
आवेदक का नाम	शाहजहाँ खातून
आवेदक का पता	इंदिरा नगर लखनऊ
आवेदन तिथि	19-02-2025
भुगतान तिथि	19-02-2025
चालान संख्या	NIB250172524
मोबाइल	9919828111
धनराशि रु०	100 /-



Date: 30.04.2025

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

Report of Non-Encumbrance in respect of Property- Plot No.11/COM-103 (Corner), Vrindavan Yojna- 3, Sector- 11, Raebareli Road, Lucknow, Uttar Pradesh ("Commercial Property").

Pursuant to the request made by the owners of the above-mentioned Commercial Property, we have conducted the due diligence and a search of relevant documents and records regarding any existing encumbrances on the Commercial Property.

It is stated that the Commercial Property is free from any sort of encumbrances as of the date of this report.

For RallyMark Legal, Advocates & Legal Consultants

Rupendra K Porwal
Advocate



उत्तर प्रदेश बार कौंसिल
BAR COUNCIL OF UTTAR PRADESH



अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण-पत्र
Advocate Enrolment Certificate
अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ की
Delivered Under Advocates Act, 1961
धारा २२(१) के अंतर्गत प्रदत्त
Of Section 22(1)
क्रमांक - उ.प्र.१७६८०/१०
Enrolment No. - UP17680/10



प्रमाणित किया जाता है कि

Certified that

श्री रूपेन्द्र कुमार पोरवाल

SHRI RUPENDRA KUMAR PORWAL

पुत्र श्री राम किशोर पोरवाल

S/O SHRI RAM KISHORE PORWAL

जनपद लखनऊ आज की तिथि से उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के अन्तर्गत अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत किए गए तथा उनका नाम अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ की धारा १७ के अधीन बार कौंसिल द्वारा अनुरक्षित अधिवक्ता पंजिका में अंकित कर लिया गया।

District LUCKNOW *from this date has been enrolled in Bar Council Of Uttar Pradesh and his name is entered in the roll Under Section 17 of the Advocate Act, 1961 by Bar Council of Uttar Pradesh.*

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक ०२/१२/२०१० को बार कौंसिल द्वारा मुद्रांकित तथा हमारे हस्ताक्षर द्वारा प्रदान किया गया।

This certificate dated on 02/12/2010 *issued by Bar Council Of Uttar Pradesh delivered under by our seal & signature.*

प्रे. ना. त्यागी
(Prem Nath Tyagi)
Secretary

Bar Council of Uttar Pradesh

Self Attested
Ry For
Advocate

Imran
(Imran Mabood Khan)
Vice Chairman
Bar Council of Uttar Pradesh